

ఆదాయపు పన్ను ప్రధాన ముఖ్య కమీషనర్ వారి కార్యాలయము, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ 10వ అంతస్తు, సి బ్లాక్, ఆదాయపు పన్ను శాఖ శిఖరము, ఏసి గార్డ్స్, హైదరాబాద్ – 500004. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना 10वीं मंजिल, 'सी' ब्लॉक, आयकर शिखर, ए.सी. गार्डस, हैदराबाद - 500004.

Office of the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, Andhra Pradesh & Telangana 10th Floor, 'C' Block, IT Towers, AC Guards, Hyderabad - 500004.

රාෟරන ශී / <mark>දිलිफोन</mark> / Telephone No. : 040 − 23425474

क्रुई_ऽ / फैक्स / Fax : 040 - 23241427

फ.सं.प्र.मु.आ.आ./4(9)(सी)/स्थापना/आ.अ/२०२५-२६ **F. No. Pr.CCIT/4(9)/Estt/ITO/2025-26**

दिनांक: ०५.०५.२०२५

Date: 05.05.2025

ఆదేశ సంఖ్య / आदेश संख्या/ORDER NO: 29 of 2025

विषय: स्थापना - आयकर विभाग, हैदराबाद, आयकर अधिकारी का स्थानान्तरण

एवं तैनाती आदेश - जारी - करने के संबंध में।

Sub: Establishment - I.T. Department, Hyderabad - Transfers and postings of Income Tax Officers - orders - Issue of - Regarding.

एतद्द्वारा आयकर अधिकारी कर्मियों का स्थानान्तरण व तैनाती आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक जारी किया जाता है।

The transfers and postings of the following **Income Tax Officers** are hereby ordered with immediate effect and until further orders.

అంతర స్ట్రేషస్ / इंटर स्टेशन/ INTER STATION

क्र.सं. SL.N	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री) NAME OF THE OFFICER (SRI/SMT/MS)	से स्थानांतरित TRANSFERRED FROM OFFICE	से स्थानांतरित TRANSFERRED FROM STATION	को स्थानांतरित TRANSFERRED TO OFFICE	से स्थानांतरित TRANSFERRED TO STATION
, 1	KALYANAPU MAHESH	PCIT, TIRUPATI	TIRUPATI	PCIT(AU)-4, HYDERABAD	NELLORE

<u> స్థానిక / स्थानीय/ LOCAL</u>

क्र.सं. SL.NO.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री) NAME OF THE OFFICER (SRI/SMT/MS)	से स्थानांतरित TRANSFERRED FROM OFFICE	से स्थानांतरित TRANSFERRED FROM STATION	को स्थानांतरित TRANSFERRED TO OFFICE	से स्थानांतरित TRANSFERRED TO STATION
1	BINA NETI	PCIT(VU)-1, GUNTUR	HYDERABAD	PCIT(AU)-1, HYDERABAD	HYDERABAD
2	PAULIANHANG	PCIT(AU)-3, HYDERABAD	HYDERABAD	PCIT(AU)-2, HYDERABAD	HYDERABAD
3	K PHANI KUMAR	PCIT(RU)-1, HYDERABAD	HYDERABAD	PCIT(AU)-3, HYDERABAD	HYDERABAD
4	N ASHA LATHA	PCIT(AU)-2, HYDERABAD	HYDERABAD	PCIT(AU)-3, HYDERABAD	HYDERABAD
58 GETT) (BR	DASYA NENAVATH	PCIT(AU)-3, HYDERABAD	HYDERABAD	PCIT(RU)-1, HYDERABAD	HYDERABAD

क्र.सं. SL.NO.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री) NAME OF THE OFFICER (SRI/SMT/MS)	से स्थानांतरित TRANSFERRED FROM OFFICE	से स्थानांतरित TRANSFERRED FROM STATION	को स्थानांतरित TRANSFERRED TO OFFICE	से स्थानांतरित TRANSFERRED TO STATION
6	JYOTSNA SINGIREDDY	PCIT(AU)-1, HYDERABAD	HYDERABAD	PCIT(VU)-1, GUNTUR	HYDERABAD
7	KASU RAJANI RATNASARIDEVI	PCIT(VU)-1, GUNTUR	GUNTUR	PCIT(VU)-1, GUNTUR	GUNTUR
8 *	ANJANI DEVI CHERUKURI	PCIT(VU)-1, GUNTUR	GUNTUR	PCIT(VU)-1, GUNTUR	GUNTUR

2. निम्निलिखित अधिकारियों को आयकर निरीक्षक संवर्ग से आयकर अधिकारी के संवर्ग में इस कार्यालय ज्ञापन संख्या प्रमुआआ/2(6)(ए)/स्था./2025-26 दिनांक 30.04.2025 के द्वारा पदोन्नित किया गया था। अब उन्हें नीचे दी गई तालिका के कॉलम संख्या (5) में उनके नाम के सामने दर्शाए गए कार्यालयों में तैनात किया जा रहा है।

The under mentioned officials were promoted to the cadre of Income Tax Officers from the cadre of Income Tax Inspectors vide Memorandums in F. No. F.No.Pr.CCIT/2(6)(a)/Estt/2025-26 dated 30.04.2025. They are now being posted in the offices mentioned against their names at column number (5) of the table below:

क्र.सं. SL.N O.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री) NAME OF THE OFFICER (SRI/SMT/MS)	से स्थानांतरित TRANSFERRED FROM OFFICE	से स्थानांतरित TRANSFERRED FROM STATION	को स्थानांतरित TRANSFERRED TO OFFICE	से स्थानांतरित TRANSFERRE D TO STATION
1	RAVINDRA REDDY AVULA (UOP)	Pr.CCIT,AP&TS, HYDERABAD	HYDERABAD	PCIT(AU)-1, HYDERABAD	WARANGAL
2	SUNIL KUMAR RAM (UOP)	Pr.CCIT,AP&TS, HYDERABAD	HYDERABAD	PCIT, TIRUPATI	TIRUPATI

- 3. क) जिन अधिकारियों के नाम के सामने (*) अंकित है, उन्हें उस प्रभार के मुख्यालय में पदस्थापित किया जाएगा, जिसमें वे पदस्थापित हैं।
- a) The officers against whom (*) is marked shall be posted in the Headquarters of the charge in which they are posted.
- 4. संबंधित मुआआ/आमिन अपने प्रभार में पदस्थापित अधिकारियों के संबंध में बिना स्टेशन बदले आवश्यक पदस्थापना करेंगे तथा अपने प्रभार में रिक्त पदों के संबंध में अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था इस कार्यालय को सूचित करते हुए करेंगे।

The concerned CCIT/DGIT shall make necessary postings in respect of the officers posted to their charge without changing the station and additional charge arrangements in respect of vacant posts in their charge under intimation to this office.

5. प्रआआ/आआ/आनि अपने प्रभार में पदस्थापित अधिकारियों के संबंध में बिना स्टेशन बदले संबंधित प्रमुआआ /प्रआमनि/मुआआ की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात आवश्यक पदस्थापना करेंगे। संबंधित प्रआआ /आआ/आनि द्वारा अपने प्रभार में रिक्त पदों के संबंध में अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था भी, जहां भी आवश्यक हो, इस कार्यालय को सूचित करते हुए की जा सकती है।



Spp

The PCIT/CIT/DIT shall make necessary postings in respect of officers posted to their charge without changing the station after getting prior approval of the Pr.CCIT/PR.DGIT/CCIT concerned. The additional charge arrangements in respect of vacant posts in their charge may also be made by the concerned PCIT/CIT/DIT wherever necessary, under intimation to this office.

6. सभी कार्यालय प्रमुख स्थानांतरण आदेशाधीन कर्मियों को दिनांक <u>12/05/2025</u> तक अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें ।

All the Heads of Office are required to relieve the officers under orders of transfer positively by $\underline{12/05/2025}$.

- 7. स्थानांतरण आदेशाधीन कर्मियों को उनके सक्षम प्राधिकारी द्वारा अर्जित छुट्टी मंजूर नहीं की जायेगी। जिनके अधीन वे वर्तमान में कार्यरत है। यदि कोई छुट्टी आवेदन तो उसे नई तैनाती कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया जाए।
- The officers under orders of transfer shall not be granted Earned Leave by the Competent Authority under whom they are presently working. Leave applications, if any, may be forwarded to the new place of posting for necessary action.
- 8. यदि किसी कर्मी को उक्त तिथि से आगे भी रोकने की आवश्यकता हैं तो, कार्यालय प्रमुख को प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, हैदराबाद से पूर्व लिखित अनुमोदन लेना होगा ।

In case, any officer is being proposed to be retained beyond the above-mentioned date, the Head of office shall take prior written approval from the Pr.CCIT, AP & Telangana.

9. कार्यालय प्रमुखों को यह निदेश दिया जाता है कि कर्मियों को कार्यमुक्त/ कार्यभार ग्रहण संबंधी अनुपालन रिपोर्ट अलग से दिनांक <u>15/05/2025</u> तक भेजी जाए ताकि कार्यालय रिकॉर्ड में आकड़े अद्यतन रखी जा सकें। कार्यालय प्रमुख को अनुपालन रिपोर्ट में यह प्रमाणित करना होगा कि कर्मी को कार्यमुक्त करते समय उनके स्थान पर तैनात कर्मी को कार्यभार सौंपने संबंधी यथोचित नोट प्रस्तुत किया गया है । यह भी नोट करें कि कर्मियों का वार्षिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट (APAR) संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारियों को भेज दिया गया है।

The Heads of Offices are directed to send separate compliance report on relieving and joining of officers from/to their offices latest by **15/05/2025**, for updating the data in records. The Head of Office should certify in the compliance report that proper handing over note has been given to the successor at the time of relieving of officers. It is also to be noted that the APARs of the officials reporting to the officers concerned are completed and duly forwarded.

10. आयकर विभाग आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना क्षेत्र के समूह "बी" (राजपत्रित) अधिकारियों की स्थानांतरण नीति के खंड V के अनुसार जब तक कार्यमुक्त तिथि से पहले स्थानांतरण आदेश स्वतः या अभ्यावेदन पर रद्द नहीं किया जाता है। स्थानांतिरत कर्मी को आदेश में उल्लेखित नियत तिथि पर कार्यमुक्त माना जायेगा। यह स्पष्ट हो कि स्थानांतरण आदेश के विरूध प्रस्तुत अभ्यावेदन पर स्थानांतरण आदेश की अवहेलना में कर्मी को पूर्व पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। इसके मद्दे नजर किसी कर्मी को नियत तिथि तक कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो उसे अगले कार्य दिवस से कार्यमुक्त माना जायेगा। उस कर्मी को पिछले पद पर बने

रहने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। इसे देखते हुए कर्मी को कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो अगले दिन तक उसे कार्यमुक्त समझा जायेगा।

As per clause V of Transfer Policy for Group 'B' (Gazetted) Officers of Income Tax department, AP & Telangana Region, unless the transfer order is cancelled either suo-moto or on representation, before the due date of relieving the transferee shall be considered as deemed relieved on the due date given in the transfer order. It is clarified that representation made against the transfer shall not confer any right whatsoever on the officer to continue at the previous post in defiance of the transfer order. In view of this, if any of the Officers is not relieved by due date, he/she shall be deemed relieved by next working day.

11. ఈ ఆదేశము ఆదాయపు పన్ను ప్రధాన ముఖ్య కమీషనర్, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ, హైదరాబాదు వారి ముందస్తు అనుమతితో జారీ చేయబడింది.

यह आदेश प्र.मु.आ.आ., आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना, हैदराबाद के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This order is issued with the prior approval of the Pr.CCIT, AP & TG, Hyderabad.

हस्ता/- -Sd/-

(จิठ もんちょ / शिव सेवक / SHIVA SEWAK)

ఆదాయపు పన్ను కమీషనర్ (పరిపాలన మరియు పన్ను చెల్లింపుదారుల సేవలు) आयकर आयुक्त (प्रशासन एवं करदाता सेवाएँ),

Commissioner of Income Tax (Admn. & TPS),

प्रतिलिपि / Copy to:

- 1. सम्बन्धित कर्मचारी /The Officers concerned.
- 2. मु.आ.आ., /हैदराबाद/विजयवाड़ा/ विशाखापट्टणम और आ.म.नि (अन्वे), हैदराबाद / The CCsIT, Hyderabad/ Vijayawada / Visakhapatnam and DGIT(Inv.), Hyderabad.
- 3. आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना क्षेत्र में सभी प्र.आ.आ./आ.आ./प्र.आ.नि./आ.नि. / All the Pr.CsIT/CsIT/Pr.DsIT/DsIT/ReFAC in AP & Telangana Region.
- 4. आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना क्षेत्र में कार्यालयों के सभी प्रमुख / All the Heads of Offices in A.P. & Telangana Region.
- 5. सचिव, भा.रा,से. संघ /आईटी गोवा, आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना इकाई/आईटी सेवा, आई.टी.ओ.बी.सी. एसोसियेशन, हैदराबाद / The Secretary IRS Officers Association/ITGOA, AP & TG Unit/ITSEWA, ITOBC Association, Hyderabad.
- 6. जैड.ए.ओ., सी.बी.डी.टी., हैदराबाद / The ZAO, CBDT, Hyderabad,
- 7. स्टॉक फाइल/निजी फाइल/डाटा बेस फाइल / The Stock file/Personal file/Data Base File.
- 8. हैदराबाद में प्र.मु.आयकर आयुक्त के कार्यालय के सभी अनुभाग / All the Sections in Pr.CCIT's Office in Hyderabad.

(ಬಿ. ධನ්ඛ් පරිత್ಯ / बी. दिनेश आदित्य / B. DINESH ADITYA)

ఆదాయపు పన్ను ఉప కమీషనర్ (ముఖ్య కార్యాలయ అధికారి మరియు పరిపాలన) आयकर उपायुक्त (मुख्या)(प्रशासन)

Dy. Commissioner of Income Tax(Hqrs.)(Admn.) ఆదాయపు పన్ను ప్రధాన ముఖ్య కమీషనర్ వారి కార్యాలయము प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय

O/o. the Pr. Chief Commissioner of Income Tax,

ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ / आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना /Andhra Pradesh & Telangana.